कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में, अक्षरश: और भावना से सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने से कहीं अधिक है। यह सुशासन, प्रभावी प्रबंधन और व्यापार के नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, बैंक को उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना और बढ़ाना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों और बृहत्तर स्तर पर समाज के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संचार और पारदर्शिता तथा अखंडता सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना।
- सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- दूसरों का अनुकरण करने के लिए उच्चतम मानक का कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- रणनीतिक नियंत्रण का ढांचा स्थापित करना और इसकी प्रभावकारिता की लगातार समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन और समीक्षा, निर्णय लेने, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्टष्ट रूप से प्रलेखित और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्थापना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएं, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों द्वारा भी निर्देशित होते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 और सूचीकरण एवं प्रकटीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं संशोधन विनियम 2018 के अनुसार बैंक ने कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल कुछ मामले अपवाद हैं, जहां इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट अधिनियम ,1955) द्वारा हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड एसबीआई अधिनियम और विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यों को पूरा करता है और उससे अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में अन्य बातों के अलावा,

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की देखरेख करना शामिल है,
- अपने व्यापार और नियंत्रण तंत्र की अखंडता की निगरानी,
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- अपने हितधारकों के हितों को अधिकतम करना।

केंद्रीय बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष कर रहे हैं, जो एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ए) के तहत नियुक्त किए गए हैं; एसबीआई अधिनियम की धारा 19(बी) के तहत चार प्रबंध निदेशकों को भी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2021 तक बोर्ड के नौ अन्य निदेशक थे जो प्रौद्योगिकी, लेखा, वित्त, अर्थशास्त्र और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात पेशेवर हैं। 31 मार्च 2021 तक केंद्रीय बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी :

- धारा 19(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- धारा 19(घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित दो निदेशक,
- धारा 19(ङ.) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, और
- धारा 19(च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से नामित एक निदेशक

बोर्ड का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उस सीमा तक ही है कि वह एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों /समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक - II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक - III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक में केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 14 बैठकें हुई थीं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 14

बैठकों की तारीखें : 21.04.2020, 28.05.2020, 05.06.2020, 25.06.2020, 15.07.2020, 31.07.2020, 27.08.2020, 30.09.2020, 05.10.2020, 04.11.2020, 17.12.2020, 04.02.2021, 24.02.2021, 24.03.2021

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (06.10.2020 तक)	09	09
श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष (07.10.2020 से प्रभावी)	05	05
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी (06.10.2020 तक)	09	09
श्री अरिजीत बसु, एमडी (31.10.2020 तक)	09	09
श्री सी श्रीनिवासुलु शेट्टी, एमडी	14	14
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (24.08.2020 से प्रभावी)	08	06
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी (28.01.2021 से प्रभावी)	03	03
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी (28.01.2021 से प्रभावी)	03	03
श्री संजीव मल्होत्रा (25.06.2020 तक)	04	04
श्री भास्कर प्रामाणिक (25.06.2020 तक)	04	04
श्री बसंत सेठ (25.06.2020 तक)	04	04
श्री बी. वेणुगोपाल	14	14
डॉ. गणेश नटराजन (26.06.2020 से प्रभावी)	10	10
श्री केतन एस. विकमसे (26.06.2020 से प्रभावी)	10	10
श्री मृगांक एम. परांजपे (26.06.2020 से प्रभावी)	10	10
डॉ. पुष्पेंद्र राय	13	13
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (31.01.2021 तक)	11	11
श्री संजीव महेश्वरी	14	13
श्री देबाशीष पंडा	14	08
श्री चंदन सिन्हा	14	13

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

2020-21 के दौरान ईसीसीबी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

कुल बैठकों की संख्या : 53

क्रम	निदेशक	नामांकन/ चुनाव के बाद/ पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
1	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (06.10.2020 तक)	28	28
2	श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष (07.10.2020 से प्रभावी)	25	25
3	श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी (06.10.2020 तक)	28	28
4	श्री अरिजीत बसु, एमडी (31.10.2020 तक)	31	31
5	श्री सी श्रीनिवासुलु शेट्टी, एमडी	53	52
6	श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (24.08.2020 से प्रभावी)	31	28
7	श्री स्वामिनाथन जे, एमडी (28.01.2021 से प्रभावी)	09	09
8	श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी (28.01.2021 से प्रभावी)	09	09
9	श्री संजीव मल्होत्रा (25.06.2020 तक)	13	11
10	श्री बी. वेणुगोपाल	53	48
11	श्री केतन एस. विकमसे (26.06.2020 से प्रभावी)	40	05
12	श्री मृगांक एम. परांजपे (26.06.2020 से प्रभावी)	40	37
13	श्री संजीव महेश्वरी (20.12.2019 से)	53	30
14	श्री चंदन सिन्हा	53	48
निदेशक जो आमतौर बैठकों के स्थान के निवासी नहीं हैं, लेकिन उस दिन उस स्थान पर मौजूद थे जहां बैठक आयोजित की गई थी /वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था :			
1	श्री भास्कर प्रमाणिक (25.06.2020 तक)	-	13
2	डॉ. गणेश नटराजन (26.06.2020 से प्रभावी)	-	37
3	डॉ. पुष्पेंद्र राय	-	30
4	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (31.01.2021 तक)	-	23

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां :

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 और सरकार/आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड की अन्य दस बोर्ड स्तरीय समितियां गठित की हैं। ये हैं - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, सह बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, हितधारकों की संबंध समिति, बड़े मूल्य की धोखाधड़ी के निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, आईटी रणनीति समिति, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति बोर्ड की निगरानी के लिए बोर्ड समिति का गठन किया गया है ताकि आदतन चूककर्ताओं/गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा की जा सके। ये समितियां ऑडिट और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का समाधान, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा और ग्राहक शिकायतों के निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां, कार्यपालक निदेशकों को प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान, कार्यकारी निदेशकों को प्रोत्साहन का भुगतान, ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी, आदतन चूककर्ताओं/गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा और निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की 'फिट और उचित' स्थिति पर पहुंचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बोर्ड निरीक्षण में प्रभावी पेशेवर सहाता प्रदान करती है। जबकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर, अन्य समितियां केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षाओं के कैलेंडर के अनुसार नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और/या डोमेन प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आमतौर पर एक तिमाही में एक बार बैठक करती हैं। जब भी आवश्यकता होती है, समितियां बैंक के शीर्ष अधिकारियों की सेवाओं पर ध्यान देने के अलावा बाहरी विशेषज्ञों को भी बुलाती हैं। नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन आवश्यक उचित परिश्रम करने और शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की 'फिट और उचित' स्थिति पर पहुंचने के लिए किया जाता है और जरूरत पड़ने पर मिलता है। नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर पूरे समय के निदेशकों को प्रोत्साहन भत्ते के भुगतान को भी मंजूरी देती है। समितियों की बैठकों में हुई चर्चाओं के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट वाले कार्यविवरण और कार्यवाहियों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड (एसीबी) की ऑडिट समिति का गठन 27 जुलाई 1994 और पिछली बार 04 फरवरी 2021 को फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था। एसीबी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और

प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एलओडीआर संशोधन विनियम 2018 के प्रावधानों का इस हद तक अनुपालन करती है कि वे आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

एसीबी के कार्य

क. एसीबी बैंक में कुल ऑडिट कार्य के संचालन की देखरेख के साथ साथ निर्देश प्रदान करती है। समस्त लेखापरीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और निरीक्षण के संगठन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा, आरबीआई निरीक्षण के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की भी नियुक्ति करता है और समय-समय पर उनके प्रदर्शन की समीक्षा करता है।

ख. एसीबी ने अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा नीतियों और लेखा नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा की।

ग. एसीबी ने बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा योजना और कार्यों की गुणवत्ता और प्रणाली के फॉलोअप के संदर्भ में प्रभावशीलता की समीक्षा की। यह विशेष रूप से, निम्नलिखित के फॉलोअप कार्यों पर भी केंद्रित है :

- केवाईसी-एएमएल दिशानिर्देश;
- रखरखाव के प्रमुख क्षेत्र,
- सेबी का अनुपालन (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सेबी (एसओडीआर) संशोधन विनियमों, 2018 के अनुसार 06.03.2019 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं संदभ शर्तों की समीक्षा की गई।

घ. यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करता है और समीक्षा करता है।

ङ. एसीबी ने बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत आरबीआई के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में उठाए गए सभी मुद्दों और सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की एलएफएआर पर अनुवर्ती कार्रवाई की। यह वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करता है। लेखा परीक्षा समिति के एक औपचारिक 'लेखा परीक्षा चार्टर' या 'विचारार्थ विषय' को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षाओं का एक कैलेंडर भी लागू है, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है, अंतिम संशोधन 18 दिसंबर 2014 से प्रभावी होता है।

संरचना एवं 2020-21 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2021 को आठ सदस्य हैं, जिनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बारह बैठकें आयोजित की गईं।

2020-21 के दौरान आयोजित एसीबी बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 12

बैठकों की तारीखें : 29.04.2020, 27.05.2020, 04.06.2020, 30.07.2020, 19.08.2020, 31.08.2020, 29.09.2020, 03.11.2020, 15.12.2020, 13.01.2021, 03.02.2021, 23.03.2021

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/ पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री केतन एस. विकमसे - समिति के अध्यक्ष (सदस्य एवं 26.06.2020 से समिति के अध्यक्ष)	09	09
श्री बसंत सेठ (सदस्य एवं 25.06.2020 तक समिति के अध्यक्ष)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा (06.10.2020 तक सदस्य)	07	07
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, एमडी	12	12
श्री अश्विनी भाटिया (25.06.2020 तक सदस्य)	05	05
श्री भास्कर प्रमाणिक (25.06.2020 तक सदस्य)	03	02
श्री बी वेणुगोपाल	12	12
डॉ. गणेश नटराजन (26.06.2020 से सदस्य)	08	08
श्री मृगांक एम परांजपे (26.06.2020 से सदस्य)	09	07
श्री संजीव माहेश्वरी	12	11
श्री देबाशीष पंडा	12	0
श्री चंदन सिन्हा	12	11

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

23 मार्च 2004 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति की निगरानी के लिए किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 04 फरवरी 2021 को किया गया था और इसमें आठ सदस्य हैं। आरएमसीबी की बैठक एक साल में कम से कम चार बार होती है, प्रत्येक तिमाही में एक बार। 2020-21 में आरएमसीबी की नौ बैठकें हुईं। 01 अप्रैल 2019 को प्रभावी सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियमों, 2018 के अनुसार 06.03.2019 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं संदर्भ शर्तों की समीक्षा की गई।

2020-21 के दौरान आयोजित आरएमसीबी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 9

बैठकों की तारीखें : 13.04.2020, 26.05.2020, 23.06.2020, 22.07.2020, 24.08.2020, 22.09.2020, 08.12.2020, 27.01.2021, 16.03.2021

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री मृगांक एम. परांजपे, समिति के अध्यक्ष (सदस्य एवं 26.06.2020 से समिति अध्यक्ष)	06	06
श्री संजीव मल्होत्रा (सदस्य एवं 25.06.2020 तक समिति अध्यक्ष)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी (21.04.2020 से 06.10.2020 तक सदस्य)	05	05
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री अरिजीत बसु, एमडी (31.10.2020 तक सदस्य)	06	06
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी (20.04.2020 तक सदस्य एवं फिर 04.02.2021 तक सदस्य)	02	01
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी (वैकल्पिक सदस्य)	--	02
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (02.11.2020 से 03.02.2021 तक सदस्य)	02	02
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी (04.02.2021 से सदस्य)	01	01
श्री भास्कार प्रमाणिक (25.06.2020 तक सदस्य)	03	03
श्री बसंत सेठ (25.06.2020 तक सदस्य)	03	02
श्री बी वेणुगोपाल	09	07
डॉ. गणेश नटराजन (26.06.2020 से सदस्य)	06	06
श्री केतन एस विकमसे (26.06.2020 तक सदस्य)	06	05
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.06.2020 से सदस्य)	07	06
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (25.06.2020 तक सदस्य)	03	03
श्री संजीव माहेश्वरी (26.06.2020 तक सदस्य)	06	05

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

सेबी के विनियमन 20 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के अनुपालन में हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी) (जिसे पहले बोर्ड की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के रूप में जाना जाता था (एसआईजीसीबी), तथा जिसका गठन 30 जनवरी 2001 को हुआ था) का गठन किया गया था, जो शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, बॉण्ड/घोषित लाभांश आदि पर ब्याज प्राप्त न होने के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों की जांच करने के लिए बनाया गया था। बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंक द्वारा निरंतर प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में किए जा रहे सुधारों से अवगत कराना था। बोर्ड स्तरीय समितियों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 11 जून 2020 को आरबीआई की साइट पर 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में गवर्नेंस' विषय पर प्रकाशित पर्चे में प्रस्तुत विचारों के अनुरूप केंद्रीय बोर्ड ने 25.06.2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) एवं ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का विलय मंजूर किया तथा विलय हुई समिति को बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) कहा गया तथा यह 26.06.2020 से प्रभाव में आई। समिति का गठन अंतिम बार 04 फरवरी 2021 को किया गया था तथा इसमें आठ सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना एवं भूमिका सेबी विनियमों का पालन करती है। बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति ने विलय से पहले 14.05.2020 को बैठक की, जबकि हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की विलय की तारीख तक कोई बैठक नहीं हुई। विलय हुई समिति अर्थात बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) एवं ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) ने वर्ष 2020-21 के दौरान तीन बैठकें कीं।

सीएससीबी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2020-21 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 1

बैठकों की तारीखें : 14.05.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री बी वेणुगोपाल, समिति के अध्यक्ष	01	01
श्री अरिजीत बसु, एमडी	01	01
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक	01	01
श्री बसंत सेठ	01	01
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.06.2020 से सदस्य)	0	0
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	01	01
श्री संजीव माहेश्वरी	01	01

एसआरसी सह सीएससीबी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2020-21 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 3

बैठकों की तारीख : 26.08.2020, 10.11.2020, 23.02.2021

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/ पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
डॉ. पुष्पेंद्र राय, समिति के अध्यक्ष	03	03
श्री बी वेणुगोपाल	03	03
डॉ. गणेश नटराजन	03	02
श्री केतन एस. विक्रमसे	03	03
श्री मृगांक एम. परांजपे	03	02
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (31.01.2021 तक सदस्य)	02	01
श्री संजीव माहेश्वरी	03	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी (06.10.2020 तक सदस्य)	01	01
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, एमडी	03	03
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (02.11.2020 से सदस्य)	01	01
श्री जे स्वीमिनाथन, एमडी (04.02.2021 से सदस्य)	01	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) :	278
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या :	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या (विचाराधीन शिकायतें) :	शून्य
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:	श्री शाम के मुख्य प्रबंधक (अनुपालन एवं कंपनी सेक्रेटरी)

बड़ी राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का उद्देश्य - प्रणालीगत खामियों (अगर कोई) तथा धोखाधड़ी के मामलों तथा ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जांच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टॉफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं को दुबारा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढ़ंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय सुनिश्चित करना है। बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने 25.06.2020 को एससीबीएमएफ को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में विलय कर दिया गया, लेकिन बाद में, सेंट्रल बोर्ड ने 27.08.2020 से समिति को दुबारा बहाल कर दिया। समिति का अंतिम पुनर्गठन 04 फरवरी 2021 को किया गया और इसमें छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2020-21 में समिति की पांच बैठकें हुईं।

एससीबीएमएफ की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2020-21 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5

बैठकों की तारीख : 26.05.2020, 15.09.2020, 17.11.2020, 19.01.2021, 30.03.2021

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री केतन एस. विकमसे, समिति के अध्यक्ष (27.08.2020 से समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य)	04	04
श्री बसंत सेठ (25.06.2020 तक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य)	01	01
श्री अरिजीत बसु, एमडी (31.10.2020 तक सदस्य)	02	02
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी	05	05
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (02.11.2020 से सदस्य)	02	02
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी (04.02.2021 से सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
डॉ गणेश नटराजन (27.08.2020 से सदस्य)	04	03
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.06.2020 से सदस्य)	04	02
डॉ पूर्णिमा गुप्ता (31.01.2021 तक सदस्य)	04	03
श्री संजीव महेश्वरी	05	03

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की आईटी पहल की प्रगति पर नज़र रखने के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया। प्रौद्योगिकी समिति को 24 अक्तूबर 2011 से बोर्ड की आईटी कार्यनीति का नाम दिया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का जिम्मा सौंपा गया है:

(i) आईटी रणनीति और नीतिगत दस्तावेज़ों को मंज़ूरी देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यापार मॉडल और इसकी दिशा का पूरक है।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभ का संतुलन प्रस्तुत करते हैं तथा यह कि बजट स्वीकार्य है।

(iv) आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्तपोषण की देखरेख करना और,

(v) आईटी प्रदर्शन माप और व्यवसाय के लिए आईटी के योगदान की समीक्षा (अर्थात वादा किया गया मूल्य प्रदान करना)।

इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 04 फरवरी 2021 को सात सदस्यों के साथ किया गया था और इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-21 में समिति की पांच बैठकें हुईं।

आईटीएससी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2020-21 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5

बैठकों की तारीख: 21.05.2020, 08.06.2020, 12.08.2020, 20.10.2020, 09.02.2021

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
डॉ. गणेश नटराजन, समिति के अध्यक्ष (26.06.2020 से समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य)	03	03
श्री भास्कर प्रामाणिक (25.06.2020 तक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य)	02	02
श्री दिनेश खारा, एमडी (06.10.2020 तक सदस्य)	03	03
श्री अरिजीत बसु, एमडी (26.08.2020 तक सदस्य)	03	03
श्री अरिजीत बसु, एमडी (वैकल्पिक सदस्य)	-	01
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (27.08.2020 से 03.02.2021 तक सदस्य)	01	01

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी (04.02.2021 तक सदस्य)	01	01
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी (04.02.2021 से सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा (25.06.2020 तक सदस्य)	02	02
श्री बी वेणुगोपाल	05	04
श्री मृगांक एम. परांजपे (26.06.2020 से सदस्य)	03	03
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.06.2020 से सदस्य)	04	04
डॉ पूर्णिमा गुप्ता (31.01.2021 तक सदस्य)	04	03
श्री संजीव महेश्वरी	05	03

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के तहत बैंक द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलापों की समीक्षा के लिए अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस के उपाय के रूप में 24 सितंबर 2014 को कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 04 फरवरी 2021 को किया गया था तथा इसमें सात सदस्य हैं। समिति के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक अध्यक्ष हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

सीएसआरसी की आयोजित बैठकों की तारीख एवं 2020-21 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 08.04.2020, 05.08.2020, 27.10.2020, 16.02.2021

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी (06.10.2020 तक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य)	02	02
श्री अरिजीत बसु, एमडी (वैकल्पिक सदस्य)	-	01
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी (07.10.2020 से समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य)	04	04
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी (02.11.2020 से सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
श्री भास्कर प्रामाणिक (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
श्री बसंत सेठ (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
श्री बी वेणुगोपाल	04	04
डॉ. गणेश नटराजन (26.06.2020 से सदस्य)	03	03
श्री केतन एस विकमसे (26.06.2020 तक सदस्य)	03	03
श्री मृगांक एम. परांजपे (26.06.2020 से सदस्य)	03	03
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.06.2020 से सदस्य)	03	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (25.06.2020 तक सदस्य)	03	03

बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

आरबीआई ने अपने मास्टर डायरेक्शन डीबीआर एपीपीटी सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 और भारत सरकार ने अपने पत्र फा.संख्या एफ 16/19/2019-बीओ दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को एकल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित (एनआरसी) करने का निर्देश दिया है एवं तदनुसार 25 अक्टूबर 2019 को एकल एनआरसी गठित की गई। समिति का अंतिम पुनर्गठन 04 फरवरी 2021 को किया गया था। समिति में पांच सदस्य हैं जिनमें गैर कार्यकारी निदेशक - श्री बी वेणुगोपाल, डॉ गणेश नटराजन, श्री केतन एस. विकमसे, श्री मृगांक एम. परांजपे एवं डॉ पुष्पेंद्र राय शामिल हैं। समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि एवं

भुगतान की जांच एवं सिफारिश करती है। यह शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल उम्मीदवारों की सावधानीपूर्वक जांच करती है तथा 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्धारण करती है। समिति कम से कम वर्ष में एक बार बैठक करती है। वर्ष 2020-21 में समिति की दो बैठकें हुईं।

2020-21 के दौरान एनआरसी की आयोजित बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 2

बैठकों की तारीख: 28.05.2020, 08.12.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री बसंत सेठ (25.06.2020 तक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
श्री संजीव माहेश्वरी (25.06.2020 तक सदस्य)	01	01
श्री बी वेणुगोपाल, समिति के अध्यक्ष (अध्यक्ष एवं सदस्य 26.06.2020 से)	01	01
डॉ. पुष्पेंद्र राय (26.06.2020 से सदस्य)	01	0
श्री मृगांक एम. परांजपे (26.06.2020 से सदस्य)	01	01
डॉ. गणेश नटराजन (26.06.2020 से सदस्य)	01	01
श्री केतन एस विकमसे (26.06.2020 तक सदस्य)	01	01

वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति

भारत सरकार के सुझावों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी के लिए 20 दिसंबर 2012 को हुई बैठक में वसूली की निगरानी के लिए एक बोर्ड समिति का गठन किया गया था। समिति का अंतिम पुनर्गठन 04 फरवरी 2021 को किया गया था, जिसमें दस सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक एवं पांच गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जिसमें भारत सरकार नामित निदेशक भी शामिल हैं। समिति ने वर्ष भर में चार बैठक की तथा बैंक के एनपीए प्रबंधन और बड़े एनपीए खातों की समीक्षा की।

इरादतन चूककर्ता / सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान हेतु समीक्षा समिति

आरबीआई के निर्देशानुसार केंद्रीय बोर्ड ने समिति का गठन किया था। प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी) इसके अध्यक्ष होते हैं तथा पांच गैर-कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं। इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति जिसमें बैंक के उप प्रबंध निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो तथा इरादतन चूककर्ता/ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं के बयान की पड़ताल एवं बयान दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने की पुष्टि करती है।

वर्ष 2020-21 में समिति की बारह बैठकें हुईं।

स्थानीय बोर्ड

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रत्येक केंद्र में जहां बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, स्थानीय बोर्ड/समितियों कार्यरत होती हैं। स्थानीय बोर्ड द्वारा केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है एवं अन्य कार्यों तथा दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। 31 मार्च 2021 तक, तीन स्थानीय प्रधान कार्यालय में स्थानीय बोर्ड एवं अन्य चौदह स्थानीय प्रधान कार्यालय के स्थानीय बोर्ड की समितियां कार्यशील थीं। स्थानीय बोर्ड/ समितियों की बैठकों के कार्यविवरण और कार्यवाही को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार द्वारा समय समय पर पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाता है। 25 अक्टूबर 2019 से केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपये और अन्य बोर्ड स्तर की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण अनुलग्नक 4 में रखा गया है।

बैंक की सदाचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के निदेशकों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में रखी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।

वर्ष के दौरान कार्यकलाप

1. इस वर्ष के दौरान नवनिर्वाचित निदेशकों के लिए ऑन-बोर्डिंग कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ संगठन संरचना, बैंक के विभिन्न व्यापारिक समूहों तथा एसोसिएट्स और सहयोगी कंपनियों का संक्षिप्त परिचय, आईटी क्षेत्र में विकास कार्य, आई टी सुरक्षा, मानव संसाधन और प्रशिक्षण आदि शामिल थे।

2. बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन : बोर्ड के अभिशासन में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने एक प्रतिष्ठित बाहरी परामर्श संगठन को नियुक्त किया था, जिसने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तर की समितियों और केंद्रीय बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मापदंडों को निर्धारित करने में सहायता की थी और समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता की थी। मूल्यांकन के मापदंडों और समग्र प्रक्रिया को बोर्ड मूल्यांकन, 2017 पर सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और नए सेबी मार्गदर्शन नोट के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई थी।

   मूल्यांकन प्रक्रिया ने बैंक के अभिशासन मूल्यों में निदेशक मंडल के विश्वास, निदेशक मंडल के बीच मौजूद तालमेल और अध्यक्ष, बोर्ड और प्रबंधन के बीच सहयोग मान्य किया।

3. कार्यनीतिक एवं वित्तीय महत्व के मामलों पर बोर्ड सदस्यों को अवगत कराने तथा अभिशासन और अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में बैंकों के बोर्ड में तेजी से रखी जा रही विभिन्न मांगों को देखते हुए वर्ष के दौरान बोर्ड सदस्यों के समक्ष कई प्रस्तुतियां की गईं, इसमें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी का वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग उद्योग पर तथा विशेष रूप से एसबीआई पर इसके प्रभाव के संबंध में विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों एवं बैंक के अपने विभागों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। कुछ प्रमुख प्रस्तुतियों का विवरण निम्नानुसार है:

   1) दिनांक 08.04.2020 को बैंक की ईसीसीबी बैठक में कॉमर्शियल क्लाइंट समूह ने एनबीएफसी पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर प्रस्तुति दी।

   2) दिनांक 14.05.2020 को बैंक की ईसीसीबी बैठक में मेकेंज़ी एंड कंपनी ने कोविड-19 के वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा एसबीआई के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं पर प्रस्तुति दी।

   3) दिनांक 21.05.2020 को बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) ने ईसीसीबी में एसबीआई के लिए इस माहौल में अवसर एवं जोरदार वापसी पर प्रस्तुति दी।

   4) 26.05.2020 की ईसीसीबी बैठक में बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा एनबीएफसी सेक्टर पर प्रस्तुति दी गई।

   5) 06.06.2020 को क्रिसिल द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था, कारपोरेट एवं वित्तीय क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रस्तुति दी।

   6) 22.12.2020 को लायसस फोरास द्वारा बैंक के सीआरई/एलआरडी पोर्टफोलियो पर कोविड-19 के प्रभाव पर प्रस्तुति दी गई। उक्त कार्यशाला में बोर्ड के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन को उद्योग में नवीनतम प्रवृत्ति के अनुरूप जानकारी रखने और आगे के रास्ते पर निर्णय लेने की बैंक की रणनीति के अनुरूप किया गया था।

   कारपोरेट गवर्नेंस, क्रेडिट डिलीवरी, सूचना सुरक्षा आदि के विषयों की बेहतर समझ एवं अद्यतन रखने तथा उभरती हुई प्रमुख चुनौतियों, पर विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए समय समय पर निदेशकों के लिए परस्पर संवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पेशेवर निकायों जैसे आईडीआरबीटी/सीएएफआरएएल (आरबीआई द्वारा प्रायोजित)/ भारत सरकार द्वारा आयोजित सेमीनार/बैठकों में निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। आईडीआरबीटी द्वारा 03-04 दिसंबर 2020 को साइबर सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया गया, जबकि एक गैर-कार्यपालक ने 02-03 मार्च 2021 को आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन को बैंक की साइबर सुरक्षा रणनीति की योजना बनाने और निष्पादन में प्रभावी योगदान करने में सक्षम बनाना था।

   कारपोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन, आईटी, ऑडिट आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित बोर्ड बैठकों में अक्सर बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से प्रस्तुति दी जाती है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को दिए गए वेतन एवं भत्ते (₹)

नाम	पीएफ इंडेक्स	मूल वेतन	डीए	अन्य	कुल	टिप्पणी	अवधि
रजनीश कुमार	7619901	1393548.39	236903.23	1404000.00	3034451.62	1404000.00 की राशि सेवानिवृत्ति पर दी गई अवकाश नकदीकरण की राशि है।	01.04.2020 to 06.10.2020
दिनेश कुमार खारा	8702764	2924283.87	487750.25	400000.00	3812034.12	400000.00 की प्रोत्साहन राशि है।	01.04.2020 to 31.03.2021
चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	8598630	2479600.00	421532.00		2901132.00		01.04.2020 to 31.03.2021
अश्विनी भाटिया	8631212	1490806.45	253437.10		1744243.55		24.08.2020 to 31.03.2021
अरिजीत बसु	7847890	1637200.00	276464.00	509886.00	2423550.00	509886.00 की राशि अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्ति पर भुगतान की गई अवकाश नकदीकरण राशि है।	01.04.2020 to 31.10.2020
स्वामिनाथन जानकीरमन	2155056	437303.23	74341.55		511644.78		28.01.2021 to 31.03.2021
अश्विनी कुमार तिवारी	2435024	437303.23	74341.55		511644.78		28.01.2021 to 31.03.2021

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2019-20 की पिछली वार्षिक महासभा 14 जुलाई 2020 को सुबह 11.00 बजे मुंबई में वीसी/ओएवीएम के द्वारा आयोजित की गई और शेयरधारको को एमसीए एवं सेबी द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दिए गए छूट के अनुरूप ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी गई। सभी निदेशकों ने बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा सहभागिता की। 2018-19 की वार्षिक महसभा का आयोजन मुंबई में 20 जून 2019 को अपराह्न 3.00 बजे किया गया जिसमें 08 निदेशकों ने सहभागिता की यथा श्री रजनीश कुमार, श्री पी.के.गुप्ता, श्री दिनेश कुमार खारा, श्री अरिजीत बसु, श्रीमती अंशुला कांत, श्री भास्कर प्रमाणिक, डॉ पुष्पेंद्र राय एवं डॉ पूर्णिमा गुप्ता। एजीएम (2017-18) का आयोजन 28 जून 2018 को मुंबई में अपराह्न 3.00 बजे किया गया। एसबीआई अधिनियम, 1955 एवं एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 में डाक मतपत्र की सुविधा नहीं है। आमतौर पर, बैंक का कारपोरेट कार्यालय मुंबई में होने के कारण एजीएम का आयोजन मुंबई में किया जाता है। एसबीआई अधिनियम, 1955 के अनुसार, केवल एक एजेंडा अर्थात बैंक की बैलेंस शीट तथा लाभ एवं हानि खाते को अपनाने पर ही चर्चा एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी ऐसा भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिसका कि बड़े स्तर पर बैंक के हितों के साथ संभावित विवाद का कारण बने।

2. बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजार, सेबी, आरबीआई या पूंजी बाज़ारों से संबंधित अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का हमेशा पालन किया है। उनके द्वारा आरबीआई की सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में प्रकट जुर्माने के अलावा बैंक पर कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया गया है।

3. जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबीर सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 04.11.2011 के अनुसार हमारे बैंक में व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी लागू है। उक्त पॉलिसी की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की आचार संहिता या सदाचार संहिता के उल्लंघन या धोखाघड़ी पर प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए 'व्हिसल ब्लोअर' पॉलिसी होनी चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने पत्र क्रमांक 11.03.2019 के माध्यम से बैंकों को कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35 (ए) के प्रावधानों के तहत वर्तमान 'व्हिसल ब्लोअर' पॉलिसी में संशोधन करने तथा वर्तमान पॉलिसी को हटाकर नई संशोधित पॉलिसी लागू करने हेतु अवगत कराया। केंद्रीय बोर्ड द्वारा 27.11.2019 को अनुमोदित नई पॉलिसी को बैंक वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। उक्त पॉलिसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऑडिट समिति के पास जाने का निषेध नहीं है।

4. संबंधित पार्टी लेनदेन के महत्व पर नीति तथा 'महत्वपूर्ण' सब्सिडियरी के निर्धारण की नीति बैंक के वेबसाइट www.sbi.co.in या bank.sbi पर कारपोरेट गवर्नेंस- पॉलिसी लिंक के तहत उपलब्ध है।

5. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(9) के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने 28.05.2020 को आयोजित बैठक में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणा एवं पुष्टि को रिकॉर्ड में दर्ज किया है। साथ ही यह भी दर्ज किया है कि सभी स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के अंतर्गत सभी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से पूरी तरह अलग हैं।

6. सेबी (एलओडीआर), विनियम की अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं : (क) बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष होता है जिसे एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। (ख) बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में अपने निवेशकों/विश्लेषकों हेतु वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किया जाता है तथा उसकी एक प्रति निवेशक सूचना हेतु स्टॉक एक्सचेंज में जमा की जाती है तथा बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है। (ग) बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में इस आशय की घोषणा दी हुई है कि बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) बिना किसी संशोधित मत के जारी किए हैं। (घ) बैंक में एक अलग आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो आवधिक रूप से अपनी रिपोर्ट सीधे ही बैंक की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत करता है।

7. बैंक ने विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) तक एवं अनुसूची V के पैरा C, D एवं E में निर्दिष्ट कारपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन किया उस सीमा तक किया है कि खंड की आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों या दिशानिर्देशों तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम का उल्लंघन नहीं करता है।

संचार का माध्यम

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों को अपने कार्यकलापों, प्रदर्शन और उत्पद के बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। वर्ष 2020-21 के बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम देश के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या bank.sbi पर भी प्रदर्शित हुए। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं जिन्होंने अपना ई-मेल पता बैंक के साथ या डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती हैं। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पदों को भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाती है एवं मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें कई निवेश विश्लेषकों/निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है तथा उसकी एक प्रति स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है जिसके साथ निवेशकों/विश्लेषकों हेतु बैंक निष्पादन पर तैयार की गई प्रस्तुतिकरण की प्रति भी होती है।

साधारण शेयरधारक सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	:	दिनांक : 25.06.2021, समय 03.00 अपराह्न स्थान : स्टेट बैंक ऑडिटोरियम स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 तथा बैठक को वीसी/एओवीएम के माध्यम से आयोजित करने के विकल्प के साथ।
वित्तीय कैलेण्डर	:	01.04.2020 से 31.03.2021
लाभांश भुगतान तिथि	:	18.06.2021
स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	:	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई), सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बांड) पर सूचीबद्ध जीडीआरएस। एलएसई सहित सभी स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग फीस का भुगतान किया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई), SBIN (NSE), CUSIP US 856552203 (LSE)
शेयर अंतरण प्रणाली	:	भौतिक रूप से शेयर अंतरण प्रक्रिया संसाधित कर और निर्धारित समय के भीतर शेयरधारकों को वापस कर दिया जाता है। तिमाही शेयर ट्रांसफर ऑडिट और शेयर कैपिटल ऑडिट का सामंजस्य नियमित रूप से एक स्वतंत्र कंपनी सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है। तथापि, सेबी ने 01 अप्रैल 2019 से शेयर के भौतिक अंतरण पर प्रतिबंध/निषेध कर दिया है।
रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (वर्तमान)	:	मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
यूनिट का पता	:	205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, E/7, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055
फोन नंबर	:	011-42541234, 7290071335
ईमेल पता	:	sbi.igr@alankit.com
पत्राचार का पता	:	एसबीआई, शेयर्स एंड बॉण्ड् विभाग, कॉरपोरेट केंद्र , 14वां तल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.
टेलीफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 to 2274 0848
फैक्स	:	(022) 2285 5348
ईमेल पता	:	investor.complaints@sbi.co.in / dgm.snb@sbi.co.in
पूरे संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टियों का नाम (रु में जारी केपिटल इंस्ट्रूमेंट्स)	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई -400 001 फोन नंबर - 91-22-4080 7006 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल: सेबी परिपत्र संख्या के अनुसार सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, एलओडीआर के विनियम 36(1)(ख) और (सी) और विनियमन 58(1)(बी) और (सी) की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाएगा और इसलिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रिक मोड के माध्यम से अपने पंजीकृत मेल पते पर शेयरधारकों को भेजी जाएगी। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in >>>>>निवेशक संबंध>>>>शेयरधारक जानकारी से भी डाउनलोड की जा सकती है।

निवेशक सेवा

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक में मुंबई में शेयर एंड बॉण्ड्स नाम से एक पूरा विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के द्वारा, उन्हें तत्काल निपटाया जाता है एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम के विनियम 44(5) के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही को एकतरफा सीधे वेबकास्ट किया जाता है। वेबकास्ट की सुविधा 25.06.2021 को 03.00 अपराह्न बजे से उपलब्ध होगी तथा शेयरधारक कोविड 19 महामारी के कारण, सामाजिक दूरी का पालन करने एवं व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के प्रतिबंधों के कारण इसे https:// www.evoting.nsdl. com या https://bank. sbi द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए बैंक ने वीसी/ओएसीएम द्वारा वार्षिक महासभा आयोजन का निर्णय लिया है तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वित्त वर्ष 2021 के दौरान पूंजी वृद्धि

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई इक्विटी कैपिटल नहीं बढ़ाई गई थी।

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)

1996 में जीडीआर जारी करने के समय सरकार/आरबीआई द्वारा दो तरह की प्रतिमोच्यता की अनुमति नहीं दी गई थी, अर्थात जीडीआर धारक ने भारतीय कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयर प्राप्त करने की इच्छा जताई तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयरों में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत नहीं। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एडीएम/जीडीआरएस की दो तरह की प्रतिमोचन की अनुमति दी गई। बैंक ने बैंक के जीडीआर कार्यक्रम में दो तरह के प्रतिमोचन की अनुमति दी है।

बैंक के पास 31 मार्च 2021 तक 109,728,17 जीडीआर थे जो 1,097,281,70 शेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में दावारहित उचंत खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं शेयरधारकों की संख्या	983	2,36,878
जोड़ें - वर्ष के आरंभ में दावारहित उचंत खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं ई-एसबीबीजे शेयरधारकों की संख्या	144	16,954
योग	1127	2,53,832
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	2	242
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	2	242
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1125	2,53,590

इन दावारहित शेयरों पर वोटिंग अधिकार पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं कर देते।

लाभांश की परंपरा/ लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण नीति लागू है। इस नीति का विवरण बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के लिंक Corporate Governance > Policies के अंतर्गत उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2020-21 में डेरिवेटिव लेनदेन पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, इस समय, ब्याज दर एवं मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव्समें सौदे करता है। बैंक द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स एवं करेंसी ऑप्शन्स का कार्य भी किया जाता है।

बैंक द्वारा रुपया ब्याज दर अदला-बदली (ओआईएस), विदेशी मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस), फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए), कैप्स, फ्लोर्स एवं कॉलर्स के ब्याज दर डेरिवेटिव्सका काम किया जाता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स व्यवसाय में मुद्रा अदला-बदली (सीआईआरएस/ सीसीएस), यूएसडी/भारतीय रूपया ऑपशन्स एवं क्रॉस-करेंसी ऑपशन्स शामिल हैं। बैंक द्वारा आरबीआई की स्वीकृति के अनुरूप एलडीएफ ट्रेड भी किया जाता है।

बैंक ग्राहकों को यह उत्पाद उनके निवेश की बचाव व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। इनका उपयोग बैंक बैलेंस शीट जोखिम को कम करने के लिए भी किया जाता है। जहां कहीं भी अवसर मिलता है वहां पर चुनिंदा तरीके से निर्धारित जोखिम सीमा में ट्रेडिंग/आर्बिटरेज कार्य भी किया जाता है।

बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर ऑपशन बुक कार्य किया जाता है तथा प्रभावी रूप से ग्रीक लिमिट का प्रबंधन भी किया जाता है। बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर स्वैप कीमत बनाने के लिए एमआईएफओआर (MIFOR) बुक भी उपयोग की जाती है।

डेरिवेटिव लेनदेन में बाज़ार जोखिम होता है अर्थात, ब्याज दरों एवं/या विनिमय दरों के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से बैंक को होने वाली संभावित हानि। डेरिवेटिव स्थिति में ऋण जोखिम भी निहित होता है अर्थात अगर प्रति पक्षकार अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक को होने वाली संभावित हानि। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरिवेटिव्सनीति' में जोखिम से निपटने के उपाय का उल्लेख किया गया है। नीति में बाज़ार जोखिम मानदंडों (ग्रीक लिमिट्स, हानि की सीमा, कट-लॉन ट्रिगर्स, ओपन पोजीशन लिमिट्स, वीएआर, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि) का स्टष्ट उल्लेख किया गया है तथा उनका सख्ती से पालन किया जाता है। ऋण जोखिम नियंत्रित करने के लिए नीति में ग्राहक/प्रतिपक्षकार पात्रता (क्रेडिट रेटिंग, संबंध की अवधि, सीईएल सीमा की उपलब्धता, ग्राहक उपयुक्तता एवं अनुकूलता (सीएएस) परीक्षण आदि) नियत की गई है जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों (काउंटरपार्टी) के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। बैंक द्वारा कारपारेट एवं अंतर-बैंक दोनों डेरिवेटिव प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए करार निष्पादित किया जाता है।

प्रत्येक अंतर-बैंक प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टी) के लिए, जोखिम वर्टिकल द्वारा प्रतिपक्षकार निवेश सीमा नियत की जाती है। बैंक ने कुछ प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए मास्टर करार के भाग के रूप में सीएसए (CSA) निष्पादित किया है। सीएसए की शर्तों के अनुसार, 'बाज़ार भाव के भीतर' डेरिवेटिव स्थिति से उभरे ऋण जोखिम को सीमित करने के लिए कोलाटरल को स्वैप काउंटरपार्टियों के साथ अंतरित या पोस्ट किया जाता है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) द्वारा इन जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन किया जाता है। बैंक का बाज़ार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाज़ार जोखिम की पहचान की जाती है, उपाय किया जाता है एवं निगरानी की जाती है। एमआरएमडी द्वारा इन जोखिमों के नियंत्रण एवं प्रबंधन में एएलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर पॉलिसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को प्रस्तुत की जाती है।

डेरिवेटिव्सकी एकाउंटिंग नीति को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है, जिसका विवरण अनुसूची 17 : प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) के तहत दिया गया है।

सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत प्रकटीकरण

1. बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने अपनी दिनांक 04.02.2021 को आयोजित बैठक में सेबी (एलओडीआर) में संशोधन के अनुरूप विभिन्न बोर्ड स्तर की समितियों जैसे लेखा परीक्षा, हितधारकों के संबंध, जोखिम प्रबंधन तथा नामांकन एवं मानदेय समिति के संदर्भ/भूमिका/पुनर्गठन के शर्तों की समीक्षा की एवं अनुमोदित किया।
2. लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 24ए के संदर्भ में 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष की एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है।
3. सभी ऋण लिखतों हेतु प्राप्त क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं है।
4. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने अधिमानी आबंटन (प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट) या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी नहीं जुटाई है। इसलिए, निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किया गया।
5. बैंक ने लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं घोषित किया है। (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है)।
6. स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों के विवरण बैंक की वेबसाइट पर वेबलिंक https:// sbi. co. in/por tal/ web/corporate-governance/regulatory-disclosures पर प्रकट किया गया है।
7. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वर्तमान सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) को अनुसूची V के पैरा सी, लिस्टिंग विनियम के खंड(के) के अनुसार भुगतान की गई कुल राशि 6,71,65,903.40 रुपये है।

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव को बीएसई सेंसेक्स एनएसई निफ्टी को निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

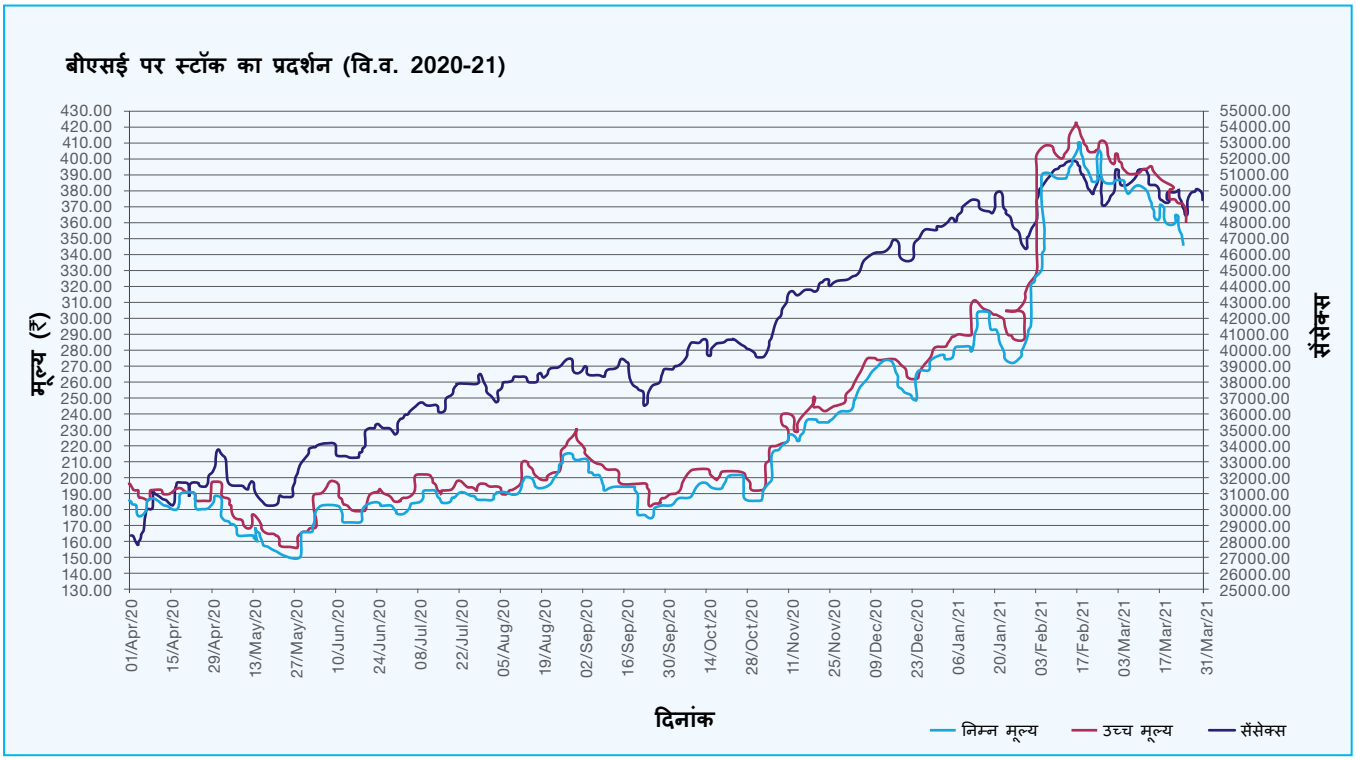

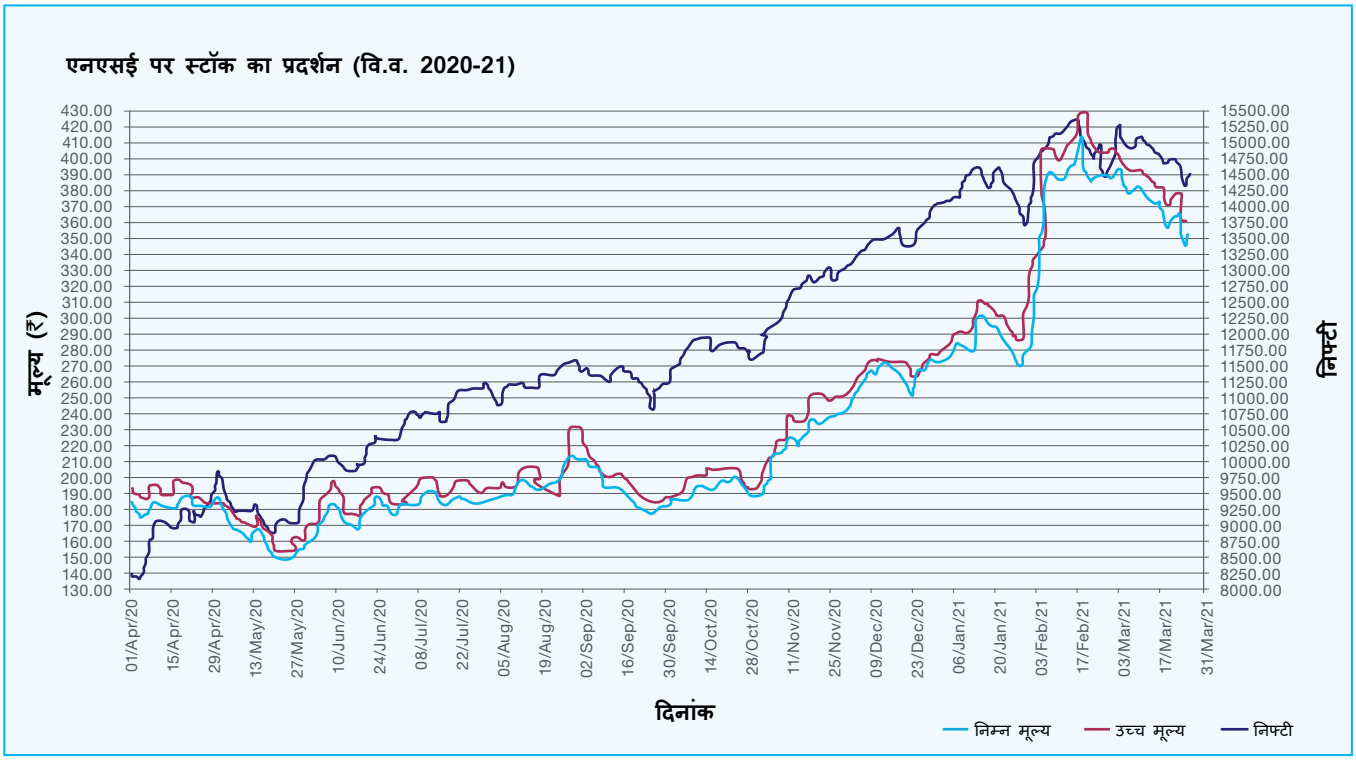

बाज़ार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (₹)		एनएसई (₹)		एलएसई (जीडीआर) US$	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-20	198.00	175.00	198.00	175.00	25.25	23.40
मई-20	184.70	149.55	183.50	149.45	23.90	19.82
जून-20	197.70	163.45	197.50	163.35	25.55	22.45
जुलाई-20	202.50	178.85	202.50	178.60	26.25	24.30
अगस्त-20	232.00	189.60	231.55	189.55	30.15	25.40
सितंबर-20	219.00	175.55	219.00	175.50	29.80	24.10
अक्टूबर-20	207.35	186.00	207.30	185.90	27.55	25.30
नवंबर-20	252.90	190.05	253.00	190.05	33.70	26.20
दिसंबर-20	279.75	244.10	279.90	244.10	37.90	33.45
जनवरी-21	310.80	269.55	310.90	269.50	41.70	37.95
फरवरी-21	426.45	282.75	427.70	282.75	56.40	42.30
मार्च-21	408.90	345.00	408.90	345.20	54.90	48.90

बुक मूल्य प्रति शेयर ₹240.53

31 मार्च 2021 को शेयरधारिता का विवरण

क्रम	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ अन्य कॉरपोरेट निकाय अनिवासी भारतीय / वैश्विक निक्षेपगार रशीदें)	11.33
3	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	12.56
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	0.82
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनी आदि	11.74
6	अन्य (निवासी व्यक्तियों सहित)	6.63
योग		**100.00**

31 मार्च 2021 को 10 शीर्ष शेयरधारक

क्रम	विवरण	कुल इक्विटी शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	भारतीय जीवन बीमा निगम एवं जीएस फंड	9.14
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - खाता एचडीएफसी टॉप 100 फंड	2.84
4	एसबीआई-ईटीएफ सेंसेक्स	2.06
5	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड - खाता निप्पन इंडिया विज़न फंड	1.46
6	प्रुडेंशियल आईसीआईसीआई ट्रस्ट लिमिटेड - सेंसेक्स प्रुडेंशियल आईसीआईसीआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - सेक्यूरिटीज़	1.36
7	द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन	1.23
8	एनपीएस ट्रस्ट - खाता एचडीएफसी पेंशन मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड स्कीम टैक्स सेवर-टियर 2	0.94
9	कोटक टैक्स सेवर स्कीम	0.90
10	यूटीआई- मास्टरशेयर यूनिट स्कीम	0.60

शेयरों को डीमैट करना एवं तरलता (लिक्विडिटी) : बैंक के इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है। 31 मार्च 2021 को कुल इक्विटी पूंजी के 99.17 अर्थात 8,85,04,85,330 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में थे।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर %
एनएसडीएल	12,19,827	3,50,40,88,322	39.26
सीडीएसएल	13,86,595	5,34,63,97,008	59.91
भौतिक	1,81,057	7,41,26,204	0.83
कुल	**27,87,479**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

31 मार्च 2021 को संवितरण सूची (अंकित मूल्य 1 रुपया प्रति शेयर)

शेयरों की श्रृंखला संख्या	कुल धारक	कुल धारकों का %	कुल धारिता ` में	कुल पूंजी का %
1-5000	2777624	99.65	506623749	5.68
5001-10000	5260	0.19	37356220	0.42
10001-20000	2008	0.07	28061999	0.32
20001-30000	634	0.02	15623327	0.18
30001-40000	240	0.01	8466972	0.09
40001-50000	179	0.01	8246961	0.09
50001-100000	426	0.01	30659403	0.34
100001-से ऊपर	1108	0.04	8289572903	92.88
कुल	**2787479**	**100.00**	**8924611534**	**100.00**

अनुलग्नक I

31 मार्च 2021 को बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री बी वेणुगोपाल

श्री बी वेणुगोपाल को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा पुनः निदेशक नियुक्त किया गया है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें एलआईसी का 36 वर्षों का लंबा अनुभव है तथा उन्हें पूर्व के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भी 2 वर्षों का अनुभव है।

केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट एकाउंटेंसी में स्नातक श्री वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी - पुणे, आईआईएम - अहमदाबाद एवं कोलकाता तथा आईएसबी से व्यवसाय रणनीति, परियोजना प्रबंधन, वित्त, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही आपने हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मनीला एवं एफएएलआईए - जापान से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

एलआईसी के अपने कैरियर में आपने विपणन, प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित संस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। अन्य बातों के साथ आपने कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), मुख्य प्रबंधक (आईटी/बीपीआर), क्षेत्रीय प्रबंधक (ईएंडओएस), चेन्नई तथा मदुरै एवं कोयंबतूर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया।

प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालने से पहले आप एलआईसी के 8 अंचलों में से सबसे बड़े पश्चिम अंचल के अंचल प्रबंधक भी रहे जिसमें गोवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यआते हैं तथा एलआईसी की कुल प्रीमियम आय में इस अंचल का 25% योगदान रहता है।

चूंकि एलआईसी अपने सभी सॉफ्टवेयर स्वयं विकसित करता है एवं उनका अनुरक्षण भी करता है, श्री वेणुगोपाल ने सूचना प्रौद्योगिकी का गहन अनुभव प्राप्त किया तथा इसके लिए वह आरंभ में प्रोग्रामर एवं सिस्टम एनालिस्ट रहे तथा बाद में आईटी प्रमुख के रूप में 7 वर्षों तक कार्य किया। वह एलआईसी की उस टीम के प्रमुख रहे जिसने आईटी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पहल आरंभ की जिसमें से कुछ प्रमुख हैं - एलआईसी कोर बिजनेस सॉल्यूशन (1995-97), एलआईसी की सर्वप्रथम मेट्रो एरिया नेटवर्किंग एवं आईवीआर सिस्टम्स (1998), कारपोरेट एक्टिव डाटा वेयरहाउस (2005), ऑनलाइन प्रीमियम कलेक्शन (2006), इंटाप्राइज़ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स (2007) एवं ऑनलाइन अंडरराइटिंग इंजिन एवं पॉलिसी की ऑनलाइन बिक्री (2012) आदि। आईटी प्रमुख के अपने कार्यकाल के दौरान एलआईसी को भारत की सभी बीमा कंपनियों के बीच एक से अधिक बार बेस्ट यूज़र ऑफ आईटी का नासकॉम अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

वर्ष 2009 से श्री वेणुगोपाल ने भारत में विदेश के कई संस्थानों के निदेशक बोर्ड में एलआईसी का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारतीय बीमा संस्थान एवं राष्ट्रीय बीमा अकादमी के गवर्निंग बोर्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि एवं भारतीय जीवन बीमा निगम गोल्डन जुबिली फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में शामिल रहे। वर्तमान में वह भारतीय स्टेट बैंक एवं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (NCDEX) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. गणेश नटराजन

डॉ. गणेश नटराजन को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉ. नटराजन 5F वर्ल्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्किल्स एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वैश्विक सलाहकार है। आप पुणे सिटी कनेक्ट एवं सोशल वेंचर्स पार्टर्नसइंडिया के भी अध्यक्ष हैं। आपको एनआईटीआईई एवं आईआईटी बॉम्बे का प्रतिष्ठित एल्यूमनस अवार्ड भी मिल चुका है। उनके किए गए कार्यों पर 2 केस स्टडी लिखी गई हैं एवं उन्हें आईसीबी, आईआईएम बेंगलूरू एवं हारवर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया भी जाता है।

सीए श्री केतन एस. विकमसे

श्री केतन विकमसे को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री विकमसे, 1936 में स्थापित फर्म खीमजी कुंवरजी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वरिष्ठ पार्टनर हैं तथा यह फर्म एचएलबी इंटरनेशनल के सदस्य है। आप एचएलबी इंडिया इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। आप इंडियन मर्चेंट चेम्बर्स की बैंकिंग, फाइनेंस एवं इंश्योरेंस कमेटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कैपिटल मार्केट्स कमेटी तथा चेमबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की आरआरसी कमेटी के सदस्य हैं।

आप आईसीएआई की विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों एवं स्टडी सर्किल, आरबीआई, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एवं विभिन्न अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमीनार, बैठकों, लेक्चर आदि में प्रमुख वक्ता/अध्यक्षता कर चुके हैं।

आपको बड़े बैंकों, निर्माण इकाईयों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों एवं म्यूचुअल फंड के लेखापरीक्षण का लंबा एवं गहन अनुभव है।

श्री मृगांक एम. परांजपे

श्री परांजपे को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई से स्नातक हैं एवं भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त हैं। आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, असेट मैनेजमेंट एवं स्टॉक ब्रोकिंग में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का 30 वर्ष का अनुभव है। आप वर्तमान में एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पूर्व आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उससे पहले आप भारत एवं सिंगापुर में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर रहे। इससे पूर्व आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बेरिंग्स एवं सिटी बैंक में काम कर चुके हैं।

डॉ. पुष्पेंद्र राय

डॉ पुष्पेंद्र राय को 28 जुलाई 2016 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक नामित किया गया है। आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में करीब 38 वर्षों का पेशेवर अनुभव है।

21 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में आप नीति बनाने; कार्यक्रम और बजट तैयार करने; कार्यान्ययन रणनीतियों का निर्धारण करने; कार्यान्ययन की निगरानी करने की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों, बिजली उत्पदन और वितरण विभागों, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों जैसे संस्थानों के विविध कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का दायित्व भी संभाल चुके हैं। आपने राष्ट्रीय परियोजना निदेशक - यूएनडीपी/विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआईपीओ) के रूप में कार्य किया है;

साथ ही सदस्य, शासी परिषद, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान; सदस्य सचिव, विदेशी निवेश संवर्धन परिषद; कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय नवीकरण कोष; डब्लूटीओ/डब्लूआईपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार; और भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव का दायित्व भी संभाल चुके हैं।

इसी के साथ, डॉ राय ने 16 वर्षों तक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (यूएन) में काम किया तथा वहां पर तकनीकी सहयोग बढ़ाने, आईपी और असेट बनाने के आर्थिक पहलुओं को बढ़ावा देने, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व जैसे असाइनमेंट को संभाला तथा सिंगापुर में एशिया पेसिफिक के क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व भी किया।

डॉ राय ने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, हारवर्ड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होने के साथ ही दुनिया के विभिन्न देशों में कई व्याख्यान भी दिए हैं।

श्री संजीव माहेश्वरी

श्री संजीव माहेश्वरी को 20 दिसंबर 2019 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षो के लिए निदेशक नामित किया गया है।

श्री माहेश्वरी पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और दिवालिया समाधान पेशेवर हैं तथा उन्हें लेखापरीक्षा, कराधान एवं प्रबंधन परामर्शक का 33 वर्षों का लंबा अनुभव है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति के 09 वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस बोर्ड ऑफ आईसीएआई के 3 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं जिस दौरान इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने आईसीएआई के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समितियों को सेवाएं प्रदान की हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के सदस्य तथा साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ अकाउंटेट्स के सदस्य के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

श्री देबाशीष पंडा

श्री देबाशीष पंडा को 24 जनवरी 2020 से अगले आदेश तक एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक नामित किया गया है। श्री पंडा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं।

श्री देबाशीष पंडा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के उत्तरप्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और उड़ीसा प्रांत के निवासी हैं। आपने 23.03.2018 को वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया और 13.12.2019 को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत हुए। आप भौतिकी, विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं और पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल. की डिग्री ले चुके हैं। आपने अमेरिका तथा फिलीपींस से लोक प्रशासन में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

1987 में सरकारी सेवा ग्रहण करने के बाद आपने उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है जैसे देवरिया, टिहरी, उत्तरकाशी और गाज़ियाबाद का जिलाधिकारी का पद तथा प्रधान सचिव (गृह एवं सामान्य प्रशासन)। आपने भारत सरकार में संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और एम्स में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर भी कार्य किया है। वित्तीय सेवाएं विभाग में अवर सचिव में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उनके पास दिल्ली में उत्तरप्रदेश का स्थानीय आयुक्त तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दोहरा प्रभार था।

श्री चंदन सिन्हा

श्री चंदन सिन्हा को 28 सितंबर 2016 से अगले आदेश तक एसबीआई अधिनियम की धारा 19(एफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा निदेशक नामित किया गया है।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2021 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखापरीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति/ सेवा समाप्ति की तारीख	सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखापरीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता
1.	श्री दिनेश कुमार खारा	अध्यक्ष नं. 5, डुनेडिन जे.एम.मेहता मार्ग, मुंबई - 400 006	07.10.2020 / 06.10.2023	अध्यक्ष: 03 समिति सदस्य: 05
2.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	प्रबंध निदेशक M-1, किनेलन टावर्स, 100A, नेपियन सी रोड, मुबई - 400 006	20.01.2020 / 19.01.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02
3.	श्री अश्विनी भाटिया	प्रबंध निदेशक M-2, किनेलन टावर्स, 100A, नेपियन सी रोड, मुबई - 400 006	24.08.2020 / 31.05.2022	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
4.	श्री स्वामिनाथन जे.	प्रबंध निदेशक M-3, किनेलन टावर्स, 100A, नेपियन सी रोड, मुबई - 400 006	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
5.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	प्रबंध निदेशक M-4, किनेलन टावर्स, 100A, नेपियन सी रोड, मुबई - 400 006	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: निरंक
6.	श्री बी. वेणुगोपाल	बीमा, वित्त एवं आईटी विशेषज्ञ (भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व एमडी) फ्लैट सं - 2बी, 2रा तल, विंड क्लिफ, पेडर रोड मुंबई - 400 026	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02
7.	डॉ. गणेश नटराजन	आईटी पेशेवर बंगला नंबर - 10, तलेरा पार्क सीएचएस, कल्याणी नगर, पुणे-411014	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 03 समिति सदस्य:05 समिति अध्यक्ष :01
8.	श्री केतन एस. विकमसे	चार्टर्ड एकाउंटेंट 174-A, कल्पतरू हेबिटेट डॉ. एस.एस. राव रोड, परेल, मुंबई - 400012	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02 समिति अध्यक्ष :01
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे	बैंकिंग एवं वित्त 46, मनीषा सीएचएस, सुभाष रोड, अंकिता टेलर्स के पीछे, विले पार्ले पूर्व, मुंबई -400057	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02
10.	डॉ. पुष्पेंद्र राय	विकास विशेषज्ञ (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवक), 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली -110 057	06.02.2020 / 05.02.2022	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01 समिति अध्यक्ष: 01
11.	श्री संजीव माहेश्वरी	चार्टर्ड एकाउंटेंट 622, गिरि शिखर एवं सेंटर सीएचएस लि. गोयनका हॉल, जे.बी.नगर अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059	20.12.2019 / 19.12.2022	निदेशक: 02 समिति सदस्य: 03 समिति अध्यक्ष :01
12.	श्री देबाशीष पंडा,	सचिव (वित्तीय सेवाएं), वित्त मंत्रालय भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग) जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001	24.01.2020 / अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य :01
13.	श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक	फ्लेट नं. 2206, टावर-5, क्रिसेंट बे, भोईवाडा परेल मुंबई - 400 012	28.09.2016 / अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य :01

अनुलग्नक II ए

31.03.2021 को निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में बोर्डों / बोर्ड स्तरीय समितियों में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्यौरा :

1. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य लाभ समिति के साथ बोर्ड - सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना सुरक्षा समिति - सदस्य
3	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति - अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष निवेश समिति - अध्यक्ष कार्यनीतिक निवेश समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य प्रौद्योगिकी समिति - सदस्य
4	एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष	शेयर आबंटन एवं एचआर समिति - सदस्य
5	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	अध्यक्ष	--
6	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
7	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - अध्यक्ष
8	एसबीआईकैप सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड	अध्यक्ष	--
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	अध्यक्ष	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
10	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष	--
11	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
12	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	अध्यक्ष	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य मानव संसाधन समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
13	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	निदेशक	--
14	भारतीय आयात-निर्यात बैंक	निदेशक	--
15	इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन	सदस्य, गवर्निंग बॉडी	--
16	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	उप अध्यक्ष, प्रबंध समिति	--
17	इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस	सदस्य, गवर्निंग काउंसिल	--

2. श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - अध्यक्ष
2	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	--
3	एसएएसएफ ट्रस्ट	अध्यक्ष	--
4	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	--	बैंकाश्योरेंस समिति - सदस्य
5	एसबीआई पेंशन फंड	कार्यपालक ट्रस्टी	--
6	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	--	एनसीडीसी की सामान्य परिषद - सदस्य

3. श्री अश्विनी भाटिया

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--

4. श्री स्वामिनाथन जे.

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - अध्यक्ष

5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	निदेशक	निदेशकों की समिति - अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य लेखापरीक्षा समिति - सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य
3	एसबीआईकैप सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड	निदेशक	--
4	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--

6. श्री बी. वेणुगोपाल

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - अध्यक्ष कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX)	निदेशक	पूंजी जुटाने वाली समिति - सदस्य
3	एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (NeML)	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य

7. डॉ. गणेश नटराजन

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - अध्यक्ष उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2	प्रिंसिपल असेट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
3	ज़ेवा केपसोल प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
4	एलएचआई डिजीटल प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
5	ग्लोबल टेलेंट ट्रेक प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
6	लाइटहाउस कम्यूनिटीज़ फाउंडेशन	निदेशक	--
7	5F वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
8	स्किल्स आल्फा लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
9	कलज़ूम एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
10	इनफ्लेक्सियोन अनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
11	फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली	निदेशक	--
12	हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यसूशन्स लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध एवं शेयर आबंटन समिति - सदस्य
13	कॉन्टिन्यूम ऑफ केपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
14	हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति- सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
15	एशियन वेंचर फिलान्थ्रॉफी नेटवर्क लिमिटेड	निदेशक	--
16	कॉर्नरस्टोन वेंचर पार्टनर्स इंवेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी	व्यक्तिगत पार्टनर	--
17	5F वर्ल्ड	पार्टनर	--

8. श्री केतन एस. विकमसे

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	खीमजी कुंवरजी एंड कंपनी एलएलपी	व्यक्तिगत पार्टनर	--

9. श्री मृगांक एम. परांजपे

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	एनसीडीएक्स ईमार्केट्स लिमिटेड (NEML) लिमिटेड	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	तकनीकी सलाकार समिती - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिती - सदस्य
3	राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज़	निदेशक	--
4	सेवा इंटरनेशनल (ट्रस्ट)	सदस्य-ट्रस्टी बोर्ड	--

10. डॉ. पुष्पेंद्र राय

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य, नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य

11. श्री संजीव माहेश्वरी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	कामदगिरी फैशन लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
3	ट्रस्ट एएमसी ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य
4	मुद्रा शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड	निदेशक	-

12. श्री देबाशीष पंडा

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य
2	आईआरडीएआई	निदेशक	--

13. श्री चंदन सिन्हा

क्र म सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य

(नोट : केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वह सभी एवं अन्य निदेशक शामिल हैं जो सामान्यत: भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं या उस समय उपस्थित रहते हैं जहां कि एसबीआई सामान्य विनियम के विनियम 46 के अंतर्गत ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है)।

अनुलग्नक III

31.03.2021 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
श्री दिनेश कुमार खारा	3,100
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	500
श्री अश्विनी भाटिया	1,180
श्री स्वामिनाथन जे.	500
श्री अश्विनी कुमार तिवारी	310
श्री बी वेणुगोपाल	5,000
डॉ. गणेश नटराजन	17,813
श्री केतन एस. विकमसे	5,000
श्री मृगांक एम. परांजपे	10,000
डॉ. पुष्पेंद्र राय	0
श्री संजीव माहेश्वरी	0
श्री देबाशीष पंडा	0
श्री चंदन सिन्हा	500

अनुलग्नक IV

वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठक(₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	3,50,000.00	6,30,000.00	9,80,000.00
2	श्री भास्कर प्रामाणिक	3,50,000.00	7,20,000.00	10,70,000.00
3	श्री बसंत सेठ	3,50,000.00	3,60,000.00	7,10,000.00
4	श्री बी वेणुगोपाल	7,70,000.00	17,30,000.00	25,00,000.00
5	डॉ. गणेश नटराजन	9,10,000.00	15,90,000.00	25,00,000.00
6	श्री केतन एस. विकमसे	7,00,000.00	11,70,000.00	18,70,000.00
7	श्री मृगांक एम. परांजपे	7,00,000.00	18,00,000.00	25,00,000.00
8	डॉ. पुष्पेंद्र राय	9,10,000.00	15,90,000.00	25,00,000.00
9	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	8,40,000.00	13,50,000.00	21,90,000.00
10	श्री संजीव माहेश्वरी	7,70,000.00	17,30,000.00	25,00,000.00
11	श्री चंदन सिन्हा	9,10,000.00	15,90,000.00	25,00,000.00

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2020-21) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण - निवारण, प्रतिबंध एवं समाधान - वर्ष 2020-21 की स्थिति

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	10
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	45
मामलों की कुल संख्या	55
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	49
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	6

31 मार्च 2021 को बोर्ड के सदस्य रहे निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
1	श्री दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष	एम.कॉम, एमबीए	आप बैंक में अध्यक्ष नियुक्त होने से पूर्व प्रबंध निदेशक (वैश्विक बैंकिंग एवं अनुषंगियां) थे। आपको खुदरा ऋण, एसएमई/कारपोरेट क्रेडिट, जमा संग्रहण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन, शाखा प्रबंधन आदि सहित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का लंबा अनुभव है।
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी एमडी (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)	बीएससी (कृषि)	आपको कारपोरेट ऋण, रिटेल बैंकिंग एवं विकसित बाज़ार में बैंकिंग का गहन अनुभव है। एमडी का कार्यभार संभालने से पहले, श्री शेट्टी बैंक के उप प्रबंध निदेशक पद पर दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के प्रमुख थे, जहां उन पर देशभर में विभिन्न क्षेत्रों जैसे उर्जा, इंफ्रा, ऑटो, टेलीकॉम आदि में बैंक के दबावग्रस्त असेट पोर्टफोलियो का समाधान करने का दायित्व था। आप बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में सिंडिकेशन टीम के भी प्रमुख रहे हैं।
3	श्री अश्विनी भाटिया एमडी (कारपोरेट एवं वैश्विक बाज़ार)	बीएससी (भौतिकी एवं गणित), एमबीए	आपको स्टेट बैंक समूह में साढ़े तीन दशकों का लंबा अनुभव है। प्रबंधन निदेशक के असाइनमेंट से पहले श्री भाटिया, एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ थे। एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट लिमिटेड से जुड़ने से पहले आप कारपोरेट केंद्र में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे जहां कि आपने बैंक की ऋण संरचना एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करते हुए और सशक्त बनाया। उनकी अन्य पदस्थापनाओं में प्रमुख हैं - मुख्य महाप्रबंधक - एसएमई, महाप्रबंधक (खुदरा परिचालन जहां कि आप हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीहर, पंजाब एवं चंडीगढ़ के प्रमुख थे), साथ ही नेटवर्क बैंकिंग, क्रेडिट, निवेश बैंकिंग एवं असेट मेनेजमेंट का दायित्व भी बखूबी संभाला। आपने एक दशक से अधिक समय तक बैंक के ट्रेज़री ऑपरेशन में भी काम किया है जहां कि आप उप महाप्रबंधक (फॉरेक्स), उमप्र (ब्याज दरें), समप्र एवं चीफ डीलर (इक्विटी) रहे हैं। श्री भाटिया ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी का भी दायित्व संभाला है। आपने बैंक के जापान ऑपरेशन्स में टोक्यो में डीलर के रूप में भी काम किया है।
4	श्री स्वामिनाथन जे. एमडी (जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)	बी.कॉम, सीएआईआईबी, सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्डरिंग स्टेशलिस्ट (सीएएमएस) एवं सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्टेशलिस्ट (सीडीसीएस)	एसबीआई के अपने 32 वर्षों के लंबे कार्यकाल में, आपने वित्त, खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग तथा शाखा प्रबंधन के विभिन्न एसाइनमेंट संभाले हैं। आपने एसबीआई में डीएमडी (वित्त) एवं प्रमुख डिजीटल अधिकारी सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। आपने बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में व्यवसाय प्रमुख के रूप में भी काम किया है।
5	श्री अश्विनी कुमार तिवारी एमडी (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल), सीएआईआईबी, सर्टिफाइड फाइनेंसियल प्लानर (सीएफपी), सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट (XLRI)	आपको भारत में एवं विदेश में भी बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों रिटेल, एसएमई, लेनदेन बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्रों में तीन दशकों का बैंकिंग अनुभव है। प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति से पहले आप एसबीआई काईस एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड में एमडी एवं सीईओ के पद पर थे। आपने एसबीआई के यूएस ऑपरेशन्समें कंट्री हेड तथा पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है।
6	श्री बी. वेणुगोपाल गैर-कार्यपालक निदेशक	कॉमर्स एवं कॉस्ट एकाउंटेंसी में स्नातक	आपको बीमा, वित्त एवं लेखा, जोखिम प्रबंधन, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर विकास), व्यवसाय कार्यनीति, परियोजना प्रबंधन, विपणन आदि के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का वृहद अनुभव है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें एलआईसी का 36 वर्षों का लंबा अनुभव है तथा उन्हें पूर्व के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भी 2 वर्षों का अनुभव है।

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
7	डॉ. गणेश नटराजन गैर कार्यपालक निदेशक	इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर, नॉलेज मेनेजमेंट में पीएचडी (आईआईटी बॉम्बे), एडवांस्ड मेनेजमेंट प्रोग्राम (हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल, यूएसए)	आपको सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का गहन अनुभव है तथा आपने व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्गठन एवं प्रौद्योगिकी रूपांतरण में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। डॉ. नटराजन 5F के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्किल्स एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वैश्विक सलाहकार है। आपको एनआईटीआईई एवं आईआईटी बॉम्बे का प्रतिष्ठित एल्यूमनस अवार्ड भी मिल चुका है। उनके किए गए कार्यों पर 2 केस स्टडी लिखी गई हैं एवं उन्हें आईसीबी, आईआईएम बेगंलूरू एवं हारवर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया भी जाता है।
8	श्री केतन एस. विकमसे गैर कार्यपालक निदेशक	आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट	आप चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की प्रतिष्ठित फर्म के वरिष्ठ साझेदार हैं। आप इंडियन मर्चेंट चेम्बर्स की बैंकिंग, फाइनेंस एवं इंश्योरेंस कमेटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी, बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कैपिटल मार्केट्स कमेटी तथा चेम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की आरआरसी कमेटी के सदस्य हैं। आपको बड़े बैंकों, निर्माण इकाईयों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों एवं म्यूचुअल फंड के लेखापरीक्षण का लंबा एवं गहन अनुभव है। आपको एश्योरेंस, लेखापरीक्षा, कराधान, सलाहकार सेवाएं, मूल्यांकन, सावधानी, निरीक्षण, जांच आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।
9	श्री मृगांक एम. परांजपे गैर कार्यपालक निदेशक	बी.टेक, आईआईटी बॉम्बे, पीजीडीएम (आईआईएम, अहमदाबाद)	आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, असेट मैनेजमेंट एवं स्टॉक ब्रोकिंग में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का 30 वर्ष का अनुभव है। आप वर्तमान में एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पूर्व आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उससे पहले आप भारत एवं सिंगापुर में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर रहे। इससे पूर्व आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बेरिंग्स एवं सिटी बैंक में काम कर चुके हैं।
10	डॉ. पुष्पेंद्र राय गैर कार्यपालक निदेशक	आईआईटी दिल्ली से पीएचडी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री	आपने 21 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। आपने राष्ट्रीय परियोजना निदेशक - यूएनडीपी/विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआईपीओ) के रूप में कार्य किया है; साथ ही सदस्य, शाषी परिषद, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान; सदस्य सचिव, विदेशी निवेश संवर्धन परिषद; कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय नवीकरण कोष; डब्लूटीओ/डब्लूआईपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार; और भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव का दायित्व भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ, डॉ राय ने 16 वर्षों तक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (यूएन) में काम किया है। आपको बौद्धिक संपदा एवं आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, परियोजना विकास एवं प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं एनालिसिस, प्रशासन, नियोजन एवं विकास कार्यनीति आदि क्षेत्रों का गहरा अनुभव है।
11	श्री संजीव महेश्वरी गैर कार्यपालक निदेशक	आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट	श्री महेश्वरी दिवालिया समाधान पेशेवर हैं तथा उन्हें लेखापरीक्षा, कराधान एवं प्रबंधन परामर्शक का लंबा अनुभव है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति के 09 वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस बोर्ड ऑफ आईसीएआई के 3 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं जिस दौरान इंड एएस के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने आईसीएआई के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समितियों को सेवाएं प्रदान की हैं।
12	श्री देबाशीष पंडा भारत सरकार के नामित निदेशक	भैतिकी, विकास प्रबंधन में स्नलातकोत्तर तथा पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल.	आप 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं।

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
13	श्री चंदन सिन्हा आरबीआई नामित निदेशक	भौतिकी में स्नातकोत्तर, एमबीए (वित्त)	आप भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व कार्यपालक निदेशक हैं एवं कैफराल, आरबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक हैं। आपको बैंकिंग एवं वित्त का गहन अनुभाव है। आपको वित्तीय बाज़ार के नियंत्रण, विदेशी मुद्रा रिज़र्व के प्रबंधन, भुगतान एवं निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है।

नीचे दी गई तालिका में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक बोर्ड द्वारा तय की गई प्रमुख विशेषताएं एवं कौशल मेट्रिक्स का विवरण दिया गया है जिनका निदेशक का चयन करते समय ध्यान में रखा जाए:

i) **उद्योग की जानकारी/ अनुभव :** उद्योग अनुभव, व्यवसाय क्षेत्र की जानकारी, विस्तृत नीति निर्देश की जानकारी, सरकारी कानून/ कानूनी प्रक्रिया की समझ।

ii) **तकनीकी कौशल/ अनुभव :** लेखा, वित्त, विधि, विपणन अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, पूंजी आबंटन, कॉस्टिंग, बजट नियंत्रण, कार्यनीति विकास एवं कार्यान्ययन।

iii) **अभिशासन क्षमता :** पूर्व निदेशक अनुभव, वित्तीय साक्षरता, अनुपालन केंद्रित, अभिशासन के दृष्टिकोण से कार्यनीतिक सोच/योजना।

iv) **निदेशक के लिए आरबीआई एवं एसबीआई योग्यता :** निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यवसाय प्रबंधन। निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों की विशेष जानकारी या अनुभव, जैसे:– (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारी क्षेत्र, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, (viii) अन्य कोई ऐसे क्षेत्र का विशेष ज्ञान या अनुभव, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मतानुसार भारतीय स्टेट बैंक के लिए उपयोगी होगा। जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व, किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व।

निदेशकगण	विशेषताएं			
	उद्योग की जानकारी/अनुभव	तकनीकी कौशल / अनुभव	अभिशासन क्षमता	निदेशक के लिए आरबीआई एवं एसबीओई योग्यता
श्री दिनेश कुमार खारा	✓	✓	✓	✓
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	✓	✓	✓	✓
श्री अश्विनी भाटिया	✓	✓	✓	✓
श्री स्वामिनाथन जे.	✓	✓	✓	✓
श्री अश्विनी कुमार तिवारी	✓	✓	✓	✓
श्री बी. वेणुगोपाल	✓	✓	✓	✓
डॉ. गणेश नटराजन	✓	✓	✓	✓
श्री केतन एस. विकमसे	✓	✓	✓	✓
श्री मृगांक एम. परांजपे	✓	✓	✓	✓
डॉ. पुष्पेंद्र राय	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव महेश्वरी	✓	✓	✓	✓
श्री देबाशीष पंडा	✓	✓	✓	✓
श्री चंदन सिन्हा	✓	✓	✓	✓

भौतिक सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रकटीकरण

(रुपये करोड़ में)

	31.03.2020		31.03.2020		
	कुल आय	10% से अधिक	नेटवर्थ	10% से अधिक	समग्र
एसबीआई (समेकित)	362229		212023		
कुल आय का 10%	36223		21202		
एसबीआई लाइफ	44326	हाँ	8743	नहीं	हाँ
एसबीआई जनरल	7929	नहीं	2214	नहीं	नहीं
एसबीआई कार्ड्स	9752	नहीं	5413	नहीं	नहीं
एसबीआईएफएमपीएल	1220	नहीं	1985	नहीं	नहीं
एसबीआईकैप समूह	1004	नहीं	3253	नहीं	नहीं
एसबीआई ग्लोबल	191	नहीं	332	नहीं	नहीं
एसबीआई एसजी	119	नहीं	222	नहीं	नहीं
एसबीआई डीएफएचआई	723	नहीं	1119	नहीं	नहीं
एसबीआई पेंशन	16	नहीं	41	नहीं	नहीं
एसबीआई पेमेंट	1342	नहीं	459	नहीं	नहीं
एसबीआईएमएफ ट्रस्टी					

(रुपये करोड़ में)

	जीवन बीमा	31 मार्च 2021 को
1	कुल परिसंपत्तियां	226,830
2	वर्तमान वित्त वर्ष का शुद्ध लाभ	1,456
3	प्रबंधनाधीन आस्तियां	220,871
4	नए व्यवसाय प्रीमियम की राशि	20,624
5	नए व्यवसाय प्रीमियम में वृद्धि	24%
6	नया व्यवसाय मार्जिन	20.40%
7	बाजार हिस्सेदारी	21.9% (एनबीपी आधार पर निजी बाजार हिस्सेदारी)
8	ऋणशोधन क्षमता अनुपात (सॉल्वेंसी रेशियो)	2.15

प्रबंधन टीम की शिक्षा एवं योग्यताएं

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। उप प्रबंध निदेशकों की शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी नीचे दी जा रही है।

क्र. सं	शीर्षक	अधिकारी का नाम	योग्यताएं
1	श्री	चौधरी आलोक कुमार	बी.एससी (ऑनर्स), एम.ए
2	श्री	कांडपाल प्रकाशचंद्र	बी.एससी., एमए (अर्थशास्त्र), एमबीए (वित्त)
3	श्री	केशव कुमार थेकेपात	एम.एससी (गणित)
4	श्री	महापात्रा अनूप कुमार	बी.एससी (कृषि)
5	श्री	मेहता अरुण	एम.ए (अर्थशास्त्र)
6	श्री	नागेश्वर चालासानी वेंकट	बी.एससी., पी.जी.डी.जे.
7	श्री	नटराजन सुंदर	एम.एससी (रसायनशास्त्र)
8	श्री	नौटियाल संजीव	बी.ए, एमबीए
9	श्री	पाण्डेय रविंद्र	एम.एससी
10	श्री	प्रबोध पारीख	एम.कॉम, एमबीए
11	श्री	प्रसाद सोम शंकरा	एम.कॉम
12	श्री	राधाकृष्णन वी.एस.	एम.कॉम, एमबीए
13	श्री	राणा आशुतोष कुमार सिंह	बी.एससी, पीजीईएमपी
14	श्री	राव सुरेड्डी श्रीनिवासा	एम.एससी
15	श्री	साली एस.	एम.एससी (एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स)
16	श्रीमती	सलोनी नारायण	बी.ए (ऑनर्स)
17	श्री	शास्त्री एस. वेंकटरमणा	बी.एससी.
18	श्री	तिवारी संदीप	एम.एससी
19	श्री	टोंसे विनय एम.	एम.कॉम (बैंकिंग एवं कॉस्टिंग)

सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार जो सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/ सीएमडी 1/27/ 2019 दिनांक 8 फरवरी 2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति
सदस्य गण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने भारतीय स्टेट बैंक (इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और अनुशासन व्यवहारों की उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखा परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से की गई है कि जिससे हमें कारपोरेट व्यवहारों/ सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिल सके।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फार्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखा परीक्षा के दौरान बैंक इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहां इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड कार्य-प्रणालियों और अनुपालन-तंत्र की यहां इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागजात, कार्य-विवरण बही, फार्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल निम्न प्रावधानों के आधार पर की है:

भारतीय स्टेट बैंक का अधिनियम, 1955 ("अधिनियम") और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ("विनियम");

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागारा अधिनियम, 1996 और उनके तहत बनाई गई उप-विधियां;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश जहां तक भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") का संबंध है:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) अधिनियम 2011;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम 1915;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम 2018;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित लाभ) विनियम 2014;#

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (कर्ज प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (निर्गम पंजीकरण और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम 2009 #;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम 2018 #;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 1996

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013;

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स) विनियम 1992;

ठ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर) विनियम 1993;

ड. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम 1994;

ढ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बैंकर्स टू ए इश्यू) विनियम 1994 ;

ण. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 1993;

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम 1996; तथा

थ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम 2015

#विनियम या दिशा निर्देश जैसा, भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है।

बैंक के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

vi. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, के रूप में संशोधन।

vii. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 सूचीकरण विनियम के लिए लागू खंड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों इत्यादि प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित को छोड़कर कुछ हद तक लागू है:

क) 31 मार्च 2021 तक बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 13 निदेशक शामिल हैं, जिनमें (05) पांच कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष और (04) चार प्रबंध निदेशकों सहित),

(05) पांच स्वतंत्र निदेशक और (03) तीन गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक हैं। लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(1) के अनुसार, अध्यक्ष को एक कार्यकारी निदेशक होने के नाते, निदेशक मंडल में कम से आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए जबकि केंद्रीय बैंक बोर्ड में केवल (05) पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इस प्रकार बैंक के पास स्वतंत्र महिला निदेशक सहित केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी। हालांकि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 15 में प्रावधान है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 की धारा 19 के संदर्भ में केंद्रीय बोर्ड के गठन के संबंध में लिस्टिंग विनियम के विनियमन 17 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए सामान्य नियम और विनियम बैंक पर इस सीमा तक लागू होंगे कि वह संबंधित प्राधिकारणों द्वारा जारी किए गए संबंधित संविधियों और दिशा-निर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

ख) बैंक की लेखा परीक्षा समिति में आठ (08) निदेशक शामिल हैं जिनमें तीन (03) स्वतंत्र निदेशक और दो (02) कार्यकारी निदेशक सहित छह (06) गैर-कार्यकारी निदेशकों का गठन 31 मार्च 2021 को किया गया है। बैंक ने लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18 (1) के तहत आवश्यक समीक्षाधीन अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

उपर्युक्त को देखते हुए बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडे में विस्तृत नोटों को बैठकों के लिए पहले से भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए और कार्यविवरणों की समीक्षा करते हुए कोई असहमति विचार नहीं देखा गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने घटनाओं/कार्यों का अनुसरण किया है:

हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्निलिखित घटनाओं/कार्यों का अनुसरण किया है:

i) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) पूंजी के तहत बेसल 3 अनुपालित डेब्ट लिखत 9000 करोड़ रुपए तथा टियर 2 पूंजी रुपए 21,015 करोड़ निजी प्लेसमेंट इश्यू के माध्यम से जुटाने का अनुमोदन दिया है।

ii) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निदेशक समिति ने AT 1 पूंजी के तहत 6500 करोड़ रुपए तथा टियर 2 पूंजी 20,931 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बेसल 3 अनुपालित डेब्ट लिखत आवंटित किया।

iii) बैंक की केंद्रीय बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारिणी समिति ने 8 जुलाई, 2020 को संपन्न अपनी बैठक में यस बैंक लिमिटेड के अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) में निवेश के लिए मंजूरी दी थी जिसके बाद यस बैंक लिमिटेड के 2 रुपये के अंकित मूल्य के 1,46,66,66,000 इक्विटी शेयर बैंक को आवंटित किए गए थे।

iv) बैंक की केंद्रीय बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारी समिति ने 8 जुलाई, 2020 को हुई बैठक में मंजूरी दे दी, जहां बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआईकैप इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करेगी ताकि एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड (एसएसएल) इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ब्रोकिंग एंड रिसर्च बिजनेस को ऐसी संयुक्त उद्यम इकाई में स्थानांतरित करने के साथ-साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए हासिल करेगी।

v) 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने AT 1 बांड कुल 200 करोड़ रुपये और टियर 2 बांड को 16,647.83 करोड़ रुपये के लिए भुनाया; कुल बॉन्ड 16,847.83 करोड़ रुपये के लिए भुनाया।

vi) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 16 मार्च, 2021 को पत्र के माध्यम से बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 (1) (बी) (ii) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जो कर्मचारी कमीशन के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए था जिसके लिए आरबीआई द्वार बैंक को विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे बैक पर 2 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया।

कृते **भंडारी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
Firm Registration No.: P1981MH043700

एस एन भंडारी
पार्टनर एफसीएस नं : 761 सी पी नं : 366
मुंबईः 21 मई 2021
UDIN: F000761C000349461

*इस रिपोर्ट को हमारे यहां तक की तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो **एनेक्सचर ए** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।*

अनुलग्नक 'क'

प्रति
सदस्य गण
भारतीय स्टेट बैंक

31मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए।

1. सचिवालाय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवालाय रिकॉर्ड्स पर एक राय व्यक्त करना है ।

2. हमने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जैसा कि सचिवालय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित होते हैं। हमें विश्वास है कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं, हम पालन हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने वित्तीय अभिलेखों और बैंक के खातों की सत्यता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है ।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।

6. सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है ।

कृते **भंडारी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
Firm Registration No.: P1981MH043700

एस एन भंडारी
पार्टनर एफसीएस नं : 761 सी पी नं : 366
मुंबईः 21 मई 2021
UDIN: F000761C000349461

निदेशकों की अयोग्यता न होने का प्रमाण पत्र

[विनियमन 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी क्लॉज (10) (i) सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार]

प्रति
सदस्य,
भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड
मुंबई - 400 021

हमने भारतीय स्टेट बैंक के निदेशकों जिनका केंद्रीय कार्यालय स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई 400021 में स्थित है (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) से प्राप्त संबंधित रजिस्टरों, रिकॉर्ड, प्रपत्र, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है जिसे विनियमन 34 (3) के साथ पठित प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग बोर्ड के अनुसूची वी पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमारे द्वारा आवश्यक समझी गई जानकारी एवं बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर हमारे सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित), हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे उल्लिखित किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी अन्य सांविधिक संस्था द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से रोका या अयोग्य नहीं घोषित किया गया है।

क्रम	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री दिनेश कुमार खारा	06737041	07/10/2020
2	श्री सी.एस. शेट्टी	08335249	20/01/2020
3	श्री अश्वनी भाटिया	07423221	24/08/2020
4	श्री स्वामीनाथन जे.	08516241	28/01/2021
5	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	08797991	28/01/2021
6	श्री बी वेणुगोपाल	02638597	07/06/2018
7	डॉ. गणेश नटराजन	00176393	26/06/2020
8	श्री केतन एस विकमसी	00282877	26/06/2020
9	श्री मृगांक एम परांजपे	02162026	26/06/2020
10	डॉ पुष्पेन्द्र राय	07506230	28/01/2016
11	श्री संजीव माहेश्वरी	02431173	20/12/2019
12	श्री देवाशीष पांडा	06479085	24/01/2020
13	श्री चंदन सिन्हा	06921244	28/09/2016

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है ।

कृते **भंडारी एंड एसोशिएट्स**
कंपनी सचिव

एस.एन.भंडारी
पार्टनर
एफसीएस सं.: 761;
सी पी सं. 366

मुंबई: मई 21, 2021
ICSI UDIN: F000761C000349483

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

प्रति,
सदस्य गण,
भारतीय स्टेट बैंक

हम, खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या: 105049W), भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के सांविधिक के लेखा परीक्षकों रूप में, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र 400021 में स्थित कॉरपोरेट कार्यालय ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की अनुपालन शर्तों की जांच की है जैसा कि संबंधित प्रावधानों में निर्धारित किया गया है प्रतिभूतियों एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग विनियम') तथा समय-समय पर संशोधित जैसा कि विनियमन 15(2) वर्ष के लिए लिस्टिंग नियमों में अप्रैल 1, 2020 से मार्च 31, 2021 संदर्भित किया जाता है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के पालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार किया गया है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, और कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित था । यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सभी भौतिक पहलुओं में कॉर्पोरेट अभिशासन के शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि उपर्युक्त लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित है, लागू है ।

हम आगे यह भी बताते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही जिस दक्षता या प्रभावशीलता के साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है ।

खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 105049W

अल्पेश वाघेला
पार्टनर
सदस्यता संख्या.: 142058
UDIN: 21142058AAAABH4499

स्थान: मुंबई
दिनांक: 21 मई, 2021